

9

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-77/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० सदफ मजहर, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-09.01.2025 से 07.07.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-77/2025- 45/21

पटना, दिनांक 09/01/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद/अधीक्षक, सदर अस्पताल, औरंगाबाद /जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/डा० सदफ मजहर, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

W. K. 8/1/26
सरकार के उप सचिव